# भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय

लालूनगर, मधेपुरा-852113 (बिहार)

पत्रांकः GS(DRA-09/024)-1074/024

दिनांक : 18/10/2024

## अधिसूचना

पीएच.डी. शोध विनियम-2016 (अद्यावधि संशोधित 2018) की कंडिका 13.1 में माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त अधिकार के आलोक में पीएच.डी. शोध कार्य हेतु निम्नांकित निदेशों का अनुपालन अधिसूचना की तिथि से अनिवार्य माना जाएगा :-

(i) अंगीभूत महाविद्यालय के नियमित शिक्षक शोध कार्य हेतु कोर्स-वर्क की अवधि तक के लिए संबंधित विषयों के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों में प्रतिनियुक्त किये जाऐंगे तथा कोर्स-वर्क समाप्ति के उपरान्त अपने मौलिक पद के लिए स्वतः विरमित समझे जायेगें। कोर्स-वर्क वर्गारम्भ से एक दिन पूर्व ऐसे शिक्षक अपने-अपने महाविद्यालय से विरमित होकर संबंधित विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक के संदर्भ में शोध कार्य हेतु संबंधित महाविद्यालय के शासी-निकाय द्वारा न्यूनतम 03 वर्षो का विधिवत् अवकाश अनिवार्य होगा।

(iii) स्ववित्त पोषित संस्थान के शिक्षक के संदर्भ में शोध कार्य हेतु संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक एवं सलाहकार समिति द्वारा न्यूनतम 03 वर्षो का विधिवत अवकाश अनिवार्य होगा।

(iv) विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक को शोध कार्य हेतु कोर्स-वर्क में नामांकन लेने के लिए पद से त्याग पत्र देने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय/विभाग से त्याग-पत्र की स्वीकृति की प्रति उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

(v) उपरोक्त कोटि के अतिरिक्त अन्य सामान्य शोधार्थी के लिए किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैरसरकारी/निकाय में शोध अवधि तक कार्यरत नही रहने सम्बन्धी शपथ-पत्र (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा) अथवा उचित प्राधिकार से स्वीकृत अवकाश सम्बन्धी अभिलेख अनिवार्य होगा।

(vi) विश्वविद्यालय मुख्यालय में पदस्थापित पर्यवेक्षक के साथ कार्यरत शोधार्थी की उपस्थिति स्नातकोत्तर विभाग में संधारित होगी तथा शेष शोधार्थी की उपस्थिति पर्यवेक्षक संधारित रखेंगे।

(vii) पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक छमाही प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपस्थिति प्रतिवेदन ससमय स्नातकोत्तर विभाग में समर्पित किया जाएगा। प्रतिवेदन विभागीय शोध परिषद् की अनुशंसा/मंतव्य सहित अग्रेत्तर शोधकार्य जारी रखने/नहीं रखने के निर्णय के साथ स्नातकोत्तर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अकादमिक शाखा को समर्पित किया जाएगा।

F;Niraj/Noti m

यह प्रक्रिया प्रत्येक छमाही अवधि के लिए अनिवार्यतः अपनाई जाएगी। किसी शोधार्थी के संदर्भ में ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शोधार्थी और पर्यवेक्षक से कारण-पृच्छा प्राप्त कर डी.आर.सी. द्वारा शोध कार्य स्थगन/निरस्तीकरण की कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को प्रतिवेदित किया जाएगा।

**नोट :-*PAT-19 और PAT-20 के वर्तमान में शोधरत शोधार्थी के संदर्भ में भी उपरोक्त निदेश शोध कार्य की शेष अवधि के लिए लागू माना जाएगा।***

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से,

ह./-

कुलसचिव

UDR-59/24
18-10-24

**ज्ञापांक : GS (DRA-09/24)-...1074/24 दिनांक :-18-10/24**

**प्रतिलिपि प्रेषितः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।**

01. सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, मधेपुरा।
02. सभी पदधिकारी/प्रशाखा/कोषांग, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, मधेपुरा।
03. परीक्षा विभाग, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, मधेपुरा।
04. कुलपति के निजी सहायक/प्रतिकुलपति के सहायक/वित्तीय परामर्शी के सहायक/वित्त पदाधिकारी/कुलसचिव के आशुलिपिक ग्रेड-I, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, मधेपुरा।

18/10/24

कुलसचिव

17/10/24

F;Niraj/Noti m